

23.08.2022:- पत्रावली पेशी में आई। प्रार्थी वकील उपस्थित नहीं आये। उक्त वादपत्र अदम पैरवी/अदम हारजी में खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। अतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी मौजूदा सूरत में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official



A  
सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिका  
लुप्तानगठ